

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीतारसीन अधिकारी अमित कुमार वर्मा (आर ए एस)

मुकदमा संख्या
29/23तारीख रजू
26.06.23तारीख निर्णय
26.12.24

बचनवान

1. बंदरी सैनी पुत्र स्व. कन्हैया निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।
2. दीनदयाल सैनी पुत्र स्व. छुट्टन निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
3. शिवदयाल सैनी पुत्र स्व. छुट्टन निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
4. बुद्धि पत्नी स्व. छुट्टन निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
5. सुनीता पुत्री स्व. छुट्टन निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
6. ताराचन्द सैनी पुत्र स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
7. चन्दो पत्नी स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
8. भगवान सहाय सैनी पुत्र स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
9. राजेन्द्र सैनी पुत्र स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
10. कैलाशी पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
11. बुगली पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
12. भग्गो पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
13. रूमाली पुत्री स्व. चन्दरी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
14. प्रहलाद सैनी पुत्र स्व. चमेल्या निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
15. सीताराम सैनी पुत्र स्व. चमेल्या निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।
16. बाबूलाल पुत्र स्व. रामसहाय सैनी निवासी गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित :


1. अभिभाषक प्रार्थीगण - शिवदत्त जैमिनी।
2. अप्रार्थी सं. 1 - तहसीलदार मण्डावर।
3. अप्रार्थी सं. 5 - सुनीता पुत्री स्व. छुट्टन।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128

राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी भूमि खाता नया 171 पुराना 91 खसरा सं. 533/1030 रकबा 0.09 हैक्टे., 466/1033 रकबा 0.04 हैक्टे., 467/1035 रकबा 0.47 हैक्टे., 465 रकबा 0.01 हैक्टे., कुल खसरे 4 कुल रकबा 0.61 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है जो वाके ग्राम गढहिम्मतसिंह, पटवार


उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हल्का गढ़ाहिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है।
 आराजी भूमि पर कब्जा काश्त हो कर अपने उपयोग-उपभोग में
 भूमि के सटवा पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 के हिस्से
 भूमि एवं आम रास्ता जो 13 फीट का रिकॉर्ड में दर्ज है एवं दक्षिण दिशा में
 लगायत 15 के हिस्से की आराजी भूमि, पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं. 6
 की आराजी भूमि एवं उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं. 16 के हिस्से की आराजी भूमि
 है। आराजी सीमा विवाद एवं रिकॉर्डेड रास्ते को लेकर अप्रार्थी सं. 2
 की आराजी भूमि में स्थिति मेड तोड़ कर अवैध तरीके से जोत लगाकर
 कब्जा कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश का प्रयास करना चाह रहे हैं। इसके साथ
 में दर्ज 13 फीट के रास्ते पर भी अतिक्रमण के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ
 करने पर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 15 लड़ाई झगडा करने पर आमादा हैं।
 व्यक्ति है, इसका फायदा लेकर अप्रार्थी सं. 2 लगायत 15 प्राथीगण
 भूमि एवं सटवा रिकॉर्डेड रास्ते पर भी अवैध कब्जा करने की कोशिश में है।
 दिनांक 15.06.23 को अप्रार्थी सं. 2 लगायत 15 से अपनी-अपनी आराजी भूमि
 का निर्धारण करवाने एवं रास्ते को रिकॉर्ड अनुसार चालू रखने हेतु सीमाज्ञान
 पत्थरगढ़ी करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से की आराजी भूमि पर
 तथा रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते पर अतिक्रमण नहीं करने का अनुरोध किया परन्तु
 लगायत 15 एवं इनके परिजनों ने प्राथीगण की आराजी भूमि में क्षति व अवैध
 की नीयत से सीमाज्ञान के साथ पत्थरगढ़ी कराने से इंकार कर दिया तथा खेत
 को तोड़ने तथा रिकॉर्ड के रास्ते को रोकने हेतु लाठी, दरात एवं डण्डों को लेकर
 से झगडने पर उतारू हो गये तथा ऐलानिया धमकी भी दी है कि अब जोत लगाने
 तोड़कर तेरी जमीन पर अधिक अवैध कब्जा करेंगे, साथ ही रिकॉर्ड में दर्ज
 उपयोग नहीं करने देंगे। कोर्ट, पुलिस तेरी कोई मदद नहीं करेगा। प्राथीगण
 परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया यह हिस्से की आराजी भूमि है। बरस
 होने के उपरान्त खेतों में जोत लगने और खेती बुवाई का समय भी हो जायेगा
 सीमाज्ञान से पत्थरगढ़ी संभव नहीं हो सकेगी। अतः निवेदन है कि उक्त आराजी
 खसरा सं. 533/1030, 466/1033, 467/1035, 465 कुल खसरे 4 कुल रकबा
 हैक्टे. की चारों दिशाओं में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने एवं रिकॉर्ड में दर्ज
 रिकॉर्ड अनुसार उपयोग में लेने हेतु आदेश करें।

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब
 जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 व 6 लगायत 16 की ओर से नोटिस की
 के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 5 ने जवाब प्रस्तुत
 पत्थरगढ़ी के आदेश किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। अप्रार्थी सं. 1 तहसील
 मण्डावर ने जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा सं. 1030/533, 1033/467,
 1035/467, 465 कुल कित्ता 04 रकबा 0.61 हैक्टे. भूमि स्थित ग्राम गढ़ाहिम्मतसिंह
 मण्डावर जिला दौसा जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 (ऑनलाइन जमाबन्दी) के
 राजस्व रिकार्ड में प्राथीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्राथी के आवेदन पर उक्त



उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)


तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक भूअ/2023/669 दिनांक 11.05.23 के द्वारा गठित राजस्व टीम ने दिनांक 18.05.23 को, मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में, सीमाज्ञान कर निशानात लगाये गये। उक्त भूमि के पत्थरगढी आदेश राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान के उपरान्त लगाये गये निशानात के आधार पर किया जाना उचित है जिसका सीमाज्ञान कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 1030/533, 1033/466, 1035/467 तथा 465 का प्रार्थी दर्ज रिकार्ड खातेदार है। उक्त आराजीयात का तहसीलदार मण्डावर द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 18.05.23 को सीमाज्ञान किया जा चुका है तथा सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी के आदेश दिये जाने पर तहसीलदार मण्डावर ने अनापत्ति व्यक्त की है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 1030/533, 1033/466, 1035/467 तथा 465 कुल किता 04 कुल रकबा 0.61 हेक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी के लिये भू अ. निरीक्षक मण्डावर को 2000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात, प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू अ. निरीक्षक मण्डावर मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 26.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)